राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2309/2007/अलवर.

मैसर्स महावीर प्रसाद नरेन्द्र कुमार, अलवर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त–अलवर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/10/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 948/उपा–भरत/1997–98/आरएसटी में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त–अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1954 की धारा 10 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 1993–94 के लिये पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.09.1996 के द्वारा आरोपित कर क्रमशः रूपये 10,326/–, रूपये 171/– धारा 11(बी) के तहत आरोपित ब्याज क्रमशः रूपये 7,228/–, रूपये 120/– व धारा 16(1)(ई) आरोपित शास्ति रूपये 20,600/– के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए उक्त मांग की पुष्टि की गयी है, जिसे अपीलार्थी व्यवहारी ने इस अपील में विवादित किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के कर निर्धारण वर्ष 1993–94 की अवधि का कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाये जाने पर कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बोगस बिलों से व्यवसाय करने वाली फर्मों से खरीद की गई है, के आधार पर बोगस बिलों से खरीद की गई राशि रूपये 2,58,153/– पर कर रूपये 10,326/– आरोपित किया गया है व देय कर जमा नहीं होने पर धारा 11(बी) के तहत ब्याज रूपये 7,228/– आरोपित किया गया। करापवंचन होना मानते हुए धारा 16(1)(ई) के तहत शास्ति रूपये 20,600/– आरोपित की गई।

मनोहर पुरी

लगातार.....2

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर चुकाकर पंजीकृत व्यवहारियों से कर संदत्त माल की खरीद रूपये 3,75,18,536/– की गई है इसमें से कतिपय पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा रूपये 2,58,153/– की बिक्री पर कर जमा नहीं कराने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने कर, ब्याज व शास्ति आरोपित की गई है। प्रथम बिन्दु पर करदेयता होने के कारण पश्चातवर्ती बिन्दु पर विक्रेता व्यवहारी कर भुगतान हेतु दायी नहीं होता है। बहस के दौरान अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

A. **35 एसटीसी 50 (मद्रास उच्च न्यायालय) गोविन्दन एण्ड कम्पनी बनाम तामिलनाडू राज्य**

B. **112 एस.टी.सी. 605 (मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय) मल्टीमेटल प्रोडक्टस बनाम आयुक्त बिक्री कर**

C. **(1997) 21 आर.टी.जे.एस. 183 (आर.टी.बी.) एसीटीओ बनाम दिनेश एण्ड कम्पनी**

D. **(2000) 27 आर.टी.जे.एस. 78 (आर.टी.बी.) वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन उदयपुर बनाम मेवाड़ ट्रेडिंग कम्पनी**

E. **(2003) 16 एस.टी.टी. 112 (आर.टी.बी.) सहायक आयुक्त वृत्त–बी अलवर बनाम मैसर्स मदन ऑयल एण्ड फेट्स प्रा.लि., अलवर**

F. **93 एस.टी.सी. 239 (राजस्थान उच्च न्यायालय) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनामं बांरा कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड**

G. **74 एस.टी.सी. 288 (राजस्थान उच्च न्यायालय) वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत्त–पाली बनाम सोजत लाईम कम्पनी**

बहस के दौरान विक्रेता अजीत कुमार मनोज कुमार, अलवर व मनोज कुमार एण्ड कंपनी के कर निर्धारण वर्ष 1993–94 के कर निर्धारण आदेश की प्रति प्रस्तुत की जिसमें कथित विक्रेता पर कर निर्धारित हो चुके होने का कथन किया गया है। बहस के अन्त में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया गया।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो विक्रय कर

लगातार.....3

चुका घोषित किया गया है उस पर कुछ विक्रेता व्यवहारियों द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को जो माल बेचा गया, उस पर विक्रेताओं व्यवहारियों द्वारा कर जमा नहीं कराया गया। इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि रूपये 25,31,752/– का माल छः विक्रेताओं से खरीदा गया जिस पर विक्रेताओं द्वारा कर जमा नहीं कराया गया है। राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1954 की धारा 5(डी) के तहत अपीलार्थी व्यवहारी का यह विधिक दायित्व है कि माल के कर चुके होने का प्रमाणीकरण करायें। कथित विक्रेता व्यवहारियों ने माल का कोई क्रय विक्रय नहीं करके केवल कर चुके माल के बिल जारी किये है। अपीलार्थी व्यवहारियों ने ऐसे बिलों के आधार पर खरीदे गये माल को कर चुका बताकर कर चुके विक्रय के रूप में कटौती की मांग की है। कुछ विक्रेता व्यवहारियों ने षड़यन्त्र करके माल के बिल जारी किये है।

6. बिक्री कर अधिनियम 1954 की धारा 5(डी) निम्न प्रकार है :–

> The burden of proving any sale or purchase effected by any person is not liable to Tax under this Act shall be on such persons.

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषित की गई कर चुके माल की खरीद में से उपरोक्त दर्शायी गई खरीद राशि रूपये 25,31,752/– पर कर नहीं चुकाया गया है।

7. अपीलीय अधिकारी ने अपने निष्कर्ष में उल्लेख किया है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने उक्त खरीद पर कर चुकाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कर चुके बिलों का आदान प्रदान करके चैक से भुगतान करना प्रथम बिन्दु पर कर चुकाने का साक्ष्य नहीं है। माल की खरीद बिक्री का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा केवल चैक से भुगतान करने के आधार पर कर चुका खरीद के रूप में कर से कटौती की मांग करना विधिसम्मत नहीं है। माल के कर चुके होने से आशय माल पर कर का भुगतान कोषागार में होने से है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा केवल विक्रेता के पंजीकृत होने के आधार पर कर चुका होने का दावा किया है। माल के खरीद एवं बिक्री के संव्यवहार सम्पूरित होने के लिये आवश्यक है कि खरीदे/बेचे गये माल का यथार्थ में विक्रेता से क्रेता को हस्तान्तरित होना चाहिए। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया, परन्तु तथ्यात्मक भिन्नता के कारण ये अपीलार्थी को कोई मदद नहीं करते हैं।

लगातार.....4

9. हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा केवल बिल जारी करने के आधार पर माल को कर चुका माना जावे अथवा नहीं, जबकि वास्तव में माल का हस्तान्तरण विक्रेता से क्रेता को नहीं हुआ है। केवल बिलों की खरीद करने के आधार पर माल कर चुका हो जायेगा अथवा नहीं।

10. इस संबंध में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पंजीयन प्रमाण–पत्र के सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टान्त **(1965) 16 एस.टी.सी. 271 (उड़ीसा) नौरंगलाल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा** में निम्न निर्णय पारित किया गया है :–

> "Even as regards proprietary interest it was held as early as 1899 in Prosunno Coomar Roy v. The Secretary of State for India in Council, that any conduct of a Government servant in violation of his duty, will not operate as estoppels against Government. This principle has been followed in Secretary of State for India v. Faredoon Jijibhai Divecha 5, where it was held that the mistaken interpretation of a grant by officers of Government and the consequent mistaken acts would not operate as estoppels as against the Crown. **Here, it has been found as a fact that persons who had no business at all succeeded in obtaining certificates of registration from the Sales Tax Authorities either due to the negligence or with the connivance of the Sales Tax Authorities and hence the grant of certificates of registration to them should be held to have been made by mistake. The Sales Tax Authorities had no jurisdiction to grant such certificates to fictitious persons or to persons who had no business. Hence though these persons may technically be said to be holders of registration certificates, nevertheless, in the eye of law, they cannot be held to be registered dealers because they have not been "validly" registered under the provisions of the Act and any mistake committed by the subordinate officers of the Sales Tax Department either due to negligence or due to collusion, cannot, on general principles, operate as estoppels against Government."**

11. राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा **अपील संख्या 1395 से 1398/2008/जयपुर निर्णय दिनांक 21.10.2003 न्यायिक दृष्टान्त 7 टैक्स अपडेट पृष्ठ 275** में निम्न व्यवस्था दी है :–

लगातार.....5

"कथित करचुका माल की खरीद के संबंध में ऐसा नहीं है कि द्वितीय डीलर को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं हैं। धारा 5(डी) भी यह स्पष्ट करती है कि उसे यह बताने की जरूरत है कि उसका क्रय/विक्रय कर योग्य नहीं हैं। धारा 5(डी) यह कहीं नहीं कहती कि व्यवहारी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कर का भुगतान कर दिया गया है, उसको तो वह केवल वजह बतानी है जिसके आधार पर वह यह कहता है कि उसके हाथ में की गई क्रय/विक्रय कर योग्य नहीं हैं। अब यह वजह कुछ भी हो सकती है जिसमें एक यह भी हो सकती है कि कर पहले विक्रेता के हाथ देय योग्य है। विक्रेता के द्वारा वास्तव में माल का विक्रय भौतिक रूप से निष्पादित होना आवश्यक है, माल हस्तान्तरित नहीं होने की स्थिति में केवल बिल के आधार पर करचुका मानने की व्यवस्था नहीं दी है। अपीलार्थी व्यवहारी ने तथ्यों के संबंध में अपने ऊपर सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया हैं।

12. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने सुनवाई के समय यह बताया कि माल विक्रेताओं में से दो विक्रेता अजीत कुमार, मनोज कुमार एवं मनोज कुमार एंड कम्पनी का कर निर्धारण वर्ष 1993–94 का कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है जिसमें इस बिक्री पर कर निर्धारण हो चुका है। इन दो विक्रेताओं के संबंध में इनके द्वारा की गई बिक्री राशि क्रमशः रूपये 25,343/– व 1,03,245/– पर करारोपण हो चुके होने की स्थिति में इस बिक्री राशि पर दोबारा करारोपण नहीं किया जा सकता है अतः केवल इस सीमित बिन्दु पर अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इसका सत्यापन करने के पश्चात यह पाये जाने पर कि विक्रेता व्यवहारियों के हाथों इस बिक्री राशि पर कर निर्धारण हो चुका है तो इस सीमा तक अपीलार्थी व्यवहारी पर दोबारा करारोपण नहीं किया जावे। इन दो उपरोक्त विक्रेताओं के अलावा अपीलार्थी व्यवहारी पर किये गये करारोपण के संबंध में अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील आंशिक स्वीकार/अस्वीकार व प्रतिप्रेषित की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 07/10/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य